

21/5/24 पत्तावली पेरा हुई। अधि. वाली उफ। सरकार में अधिवक्ता
वाली द्वारा डा. पत्र आदेश 23 दिनांक 01 सप्टेंबर द्वारा 15।
जा. प्री. का पेरा कर नये वाद के पेरा करने के अधिवक्ता को
सुरक्षित रखते हुए वर्तमान वाद को विज्ञा किने जाने का निर्देश
किया। अतः वाली द्वारा वाद विज्ञा किने जाने से कोई मादिगरी
शक नहीं रहती है। अतः नये वाद पेरा करने के अधिवक्ता को
सुरक्षित रखते हुए प्रकरण को वही स्तर पर शेष किया
जाना है। पत्तावली केसल शुमार फौरन नम्बर से कर ली।

मिनि सुबे विलास सुजादा ग।का।

